



सर्वभूतेः

भारत सरकार

भारत

का

विधि

आयोग

किसी नारी द्वारा स्व-अर्जित संपत्ति के प्रति अपना कोई वारिस छोड़ बिना
निर्वासीयत मृत्यु की दशा में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा
15 को संशोधित करने का प्रस्ताव।

रिपोर्ट सं. 207

जून, 2008



भारत का विधि आयोग

(रिपोर्ट सं. 207

किसी नारी द्वारा स्व-अर्जित संपत्ति के प्रति अपना कोई वारिस छोड़े बिना निर्वसीयत मृत्यु की दशा में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 को संशोधित करने का प्रस्ताव।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग द्वारा 10 जून, 2008 को केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत।

18वें विधि आयोग का गठन भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के आदेश संख्या ए.45012/1/2006-प्रशा.

III (एल ए) तारीख 16 अक्टूबर, 2006 द्वारा 1 सितम्बर, 2006 से तीन वर्ष के लिए किया गया।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और छह अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति डा. एआर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष

सदस्य-सचिव

डा. डी. पी. शर्मा

पूर्णकालिक सदस्य

प्रोफेसर (डा.) ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण

श्री ओ. पी. शर्मा

डा. के. एन. चन्द्रशेखरन पिल्लै

डा. श्रीमती देविन्द्र कुमारी रहेजा

प्रोफेसर श्रीमती लक्ष्मी जामभोलकर

श्रीमती कीर्ति सिंह

विधि आयोग आई. एल. आई. बिल्डिंग, द्वितीय तल, भगवानदास रोड,
नई दिल्ली-110001 पर स्थित है।

विधि आयोग के कर्मचारिवृंद

डा. डी. पी. शर्मा, सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म अग्रवाल, अपर सचिव

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

कुमारी पवन शर्मा : अपर विधि अधिकारी

श्री जे. टी. सुलक्षण राव : अपर विधि अधिकारी

श्री स्वर्ण कुमार : उप विधि अधिकारी

श्री ए. के. उपाध्याय : उप विधि अधिकारी

डा. वी. के. सिंह : सहायक विधि अधिकारी

श्री सी. राधाकृष्ण : सहायक विधि अधिकारी

प्रशासनिक कर्मचारिवृंद

श्री डी. चौधरी : अवर सचिव

श्री एस. के. बसु : अनुभाग अधिकारी

श्रीमती रजनी शर्मा : सहायक पुस्तकालय एवं सूचना

अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ <http://www.lawcommissionofindia.nic.in> पर इन्टरनेट पर उपलब्ध है।

© सरकारी कापीराइट 2008

भारत का विधि आयोग

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली-110 001

भारत

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्न के सिवाय) इस शर्त के अधीन किसी प्ररूप या माध्यम में निःशुल्क पुनरुत्पादित किया जा सकता है कि यह ठीक-ठीक पुनरुत्पादित किया गया है और भ्रामक संदर्भ में प्रयोग नहीं किया गया है। सामग्री की अभिस्वीकृति सरकारी कापीराइट और विनिर्दिष्ट दस्तावेज के शीषक के रूप में की जाए।

इस रिपोर्ट से संबंधित कोई पूछताछ सदस्य-सचिव, भारत का विधि आयोग, द्वितीय तल, आई. एल. आई. भवन, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001, भारत फैक्स : 91-11-23388870 या ई-मेल : dr.dpsharma@nic.in को संबोधित की जाए।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन
 (भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का
 उच्चतम न्यायालय)
 अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

आई.एल.आई. भवन
 (द्वितीय तल)
 भगवान दास रोड,
 नई दिल्ली-110001
 दूरभाष- 91-11-22384475
 फैक्स - 91-11-23383564
 10 जून, 2008.

प्रिय श्री भारद्वाज जी,

मैं किसी नारी द्वारा स्व-अर्जित सम्पत्ति हेतु बिना कोई अपना वारिस छोड़े निर्वसीयत मृत्यु की दशा में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 को संशोधित करने के प्रस्ताव पर आयोग की 207वीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक परिवृश्य में व्यापक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा यह विषय स्वप्रेरणा से विचारार्थ लिया गया। कई वर्षों से महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में पदार्पण कर लिया है। परिणाम यह है कि महिलाएं अपनी निजी दक्षता से उपार्जित संपत्ति की मालकिन हैं। यह प्रतीत होता है कि जब अधिनियम का अधिनियमन किया गया था तब ऐसी स्थितियां विधायकों के ध्यान में नहीं रहीं। दूसरा पहलू जो आयोग वर्तमान परिवृश्य में बहुत महत्वपूर्ण महसूस करता है, यह है कि जब इस आशय के संशोधन किए गए कि महिलाएं अपने पैतृक पक्ष और अपने पति के पक्ष से संपत्ति की विरासत की हकदार होंगी, यह बिलकुल न्यायसंगत होगा यदि उसके पति के वारिसों के साथ-साथ उसके पैतृक वारिसों को उसकी संपत्ति के विरासत का समान अधिकार दिया जाए, यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है। इसी संदर्भ में

निवास : सं.1, जनपथ, नई दिल्ली-110011. टेली-91-11-23019465.
 23793488, 23792745.ई-मेल : ch.lc@sb.nic.in

आयोग ने रिपोर्ट में यथा-उपदर्शित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के संशोधन का प्रस्ताव किया।

आयोग की निर्देश शर्त अन्य बातों के साथ-साथ उसे लिंग समता को बढ़ावा देने और इसके लिए संशोधनों को सुझाव देने और सामान्य महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करने की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संविधानताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके। अतः, आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से संपत्ति के विरासत और उत्तराधिकार को लागू विधियों के संबंधित पूर्वोक्त विषय को विचारार्थ चुना गया। सामाजिक न्याय की यह मांग है कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में समान माना जाए। आयोग यह महसूस करता है कि रिपोर्ट में कथित बिन्दुओं के अनुसार प्रस्तावित संशोधन की आवश्यकता है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का उद्देश्य हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 में परिवर्तनों का सुझाव देना है ताकि संपत्ति के विरासत हेतु पति के वारिसों के साथ-साथ पैतृक वारिसों को समान अधिकार दिया जा सके। हम यह आशा करते हैं कि उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग में इस रिपोर्ट की सिफारिशों का दूसरामी प्रभाव होगा।

सादर,

भवदीय,
ह/-

(एआर. लक्ष्मणन)

श्री एच. आर. भारद्वाज,
केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

भारत का विधि आयोग

किसी नारी द्वारा स्व-अर्जित संपत्ति के प्रति अपना कोई वारिस छोड़े बिना मृत्यु की दशा में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 को संशोधित करने के प्रस्ताव पर रिपोर्ट ।

विषय सूची

	पृष्ठ
1. प्रस्तावना	9
2. हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार की स्कीम	10
3. अर्जन के स्रोत का महत्व	12
4. स्व-अर्जित संपत्ति – एक आचार विषय	16
5. परिवर्तन का मामला	18
6. निष्कर्ष और सिफारिशें	23
7. प्रस्तावित संशोधन	25

भारत का विधि आयोग

किसी नारी द्वारा स्व-अर्जित संपत्ति हेतु कोई अपना वारिस छोड़े
बिना निर्वसीयत मृत्यु की दशा में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,
1956 की धारा 15 को संशोधित करने के प्रस्ताव पर रिपोर्ट ।

1. प्रस्तावना

- 1.1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 उस हिन्दू संहिता का एक भाग है जिसके अंतर्गत हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 और हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 है। इन अधिनियमों से हिन्दुओं से संबंधित विधियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया गया। इसने विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक आदि विषयक विधियों को संहिताबद्ध किया।
- 1.2 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ने उत्तराधिकार विशेषकर हिन्दू नारियों से संबंधित विधि में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया। पहली बार, कोई हिन्दू नारी संपत्ति की पूर्ण स्वामी हुई। वह पुरुष के समान विरासत प्राप्त कर सकती है और विधवा को भी अपनी पति की संपत्ति और अपने पिता की भी संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में महत्व दिया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का यह उपबंध करने के लिए 2005 में संशोधन किया गया कि मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब में सहवायिकी की

पुत्री जन्म द्वारा उसी रीति में अपने निजी अधिकार में सहदायिक होगी जैसा पुत्र उस संपत्ति की बाबत वही अधिकार और दायित्व रखता है (अधिनियम की धारा 6 देखिए) ।

2. हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार की स्कीम

2.1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 हिन्दू नारी जिसकी निर्वसीयत मृत्यु होती है की संपत्ति के उत्तराधिकार की एक निश्चित और समरूप स्कीम प्रतिपादित करती है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 16 में नियमों का भी वर्णन है जिसे अधिनियम की धारा 15 के साथ पढ़ा जाना चाहिए ।

2.2 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 इस प्रकार है :—

“ 15. हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम-

- (1) निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी:-
- (क) प्रथमतः, पुत्रों और पुत्रियों (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं) और पति को ;
- (ख) द्वितीयतः, पति के वारिसों को ;
- (ग) तृतीयतः, माता और पिता को ;
- (घ) चतुर्थतः, पिता के वारिसों को ; तथा
- (ङ.) अन्ततः, माता के वारिसों को ।

- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –
- (क) कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी ; तथा
- (ख) कोई सम्पत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पति या अपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री या अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी ।”
- 2.3 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 16 में हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति का उपबंध है । धारा इस प्रकार है :–
- “ 16. हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति – धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और उन वारिसों में निर्वसीयत की सम्पत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थातः-

नियम 1 — धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वारिसों में से पहली प्रविष्टि में के वारिसों को किसी उत्तरवर्ती प्रविष्टि में के वारिसों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा और जो वारिस एक ही प्रविष्टि के अन्तर्गत हों, वे साथ-साथ अंशभागी होंगे ।

नियम 2 — यदि निर्वसीयत का कोई पुत्र या अपने ही कोई अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित छोड़कर निर्वसीयत से पूर्व मर जाए तो ऐसे पुत्र या पुत्री के अपत्य परस्पर वह अंश लेंगे जिसे वह लेती यदि निर्वसीयत की मृत्यु के समय ऐसा पुत्र या पुत्री जीवित होती ।

नियम 3 — धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (घ) और (ड.) में और उपधारा (2) में निर्दिष्ट वारिसों को निर्वसीयत की सम्पत्ति उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार न्यागत होगी जो लागू होते यदि सम्पत्ति, यथास्थिति, पिता की या माता की या पति की होती और वह व्यक्ति निर्वसीयत की मृत्यु के अव्यवहित पश्चात् उस सम्पत्ति के बारे में वसीयत किए बिना मर गया होता ॥

3. अर्जन के स्रोत का महत्व

- 3.1 निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी के वारिसों के समूह का वर्णन धारा 15(1) के (क) से (ड.) के रूप में 5 प्रवर्गों में किया गया है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया है ।

- 3.1.1 ऐसे मामले में जहां उसकी मृत्यु संपत्ति छोड़ कर निर्वसीयत हो जाती है वहां उसकी संपत्ति प्रथमतः उसके पुत्रों और पुत्रियों और पति को भी न्यागत होगी । किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हिन्दू नारी के वारिसों के प्रथम प्रवर्ग में शामिल हैं ।
- 3.1.2 यदि उसकी मृत्यु के समय उसके पास उपरोक्त यथानिर्दिष्ट कोई वारिस अर्थात् पुत्र, पुत्री और पति जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य हैं (खंड ‘क’ के अनुसार) जीवित नहीं हैं तो अगले वारिस पति के वारिस होंगे ।
- 3.1.3 तृतीयतः, यदि पति का कोई वारिस नहीं है, तो संपत्ति माता और पिता को न्यागत होगी ;
- 3.1.4 चतुर्थतः, यदि माता और पिता जीवित नहीं हैं तो संपत्ति पिता के वारिसों जिसका अभिप्राय भाई, बहन आदि से है, को न्यागत होगी ;
- 3.1.5 अंतिम और पांचवां प्रवर्ग माता के वारिसों का है जिनका पूर्ववर्ती चार प्रवर्गों में आने वाले किन्हीं वारिसों के अभाव में हिन्दू नारी की संपत्ति न्यागत होगी ।
- 3.2 यह उत्तराधिकार का साधारण नियम है लेकिन धारा में दो अपवादों का भी उपबंध है जिनका धारा (2) में उल्लेख है । तदनुसार, यदि किसी हिन्दू नारी की मृत्यु कोई संतान छोड़े बिना होती है तो अपने पिता या माता से उसे विरासत में प्राप्त संपत्ति पूर्व यथाकथित पांच प्रविष्टियों में अधिकथित नियमों के अनुसार नहीं बल्कि

पति के वारिसों को न्यागत होगी । और द्वितीयतः, अपने पति या श्वसुर से विरासत में प्राप्त संपत्ति की बाबत, यह साधरण नियम के अनुसार नहीं बल्कि पति के वारिसों को न्यागत होगी ।

- 3.3 राज्य सभा में मूलतः पुरःस्थापित हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, 1954 में धारा 15 की उपधारा (2) के तत्समान कोई खंड नहीं था । इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया । संयुक्त समिति द्वारा दिए गए कारण विधेयक के खंड 17 में हैं जो इस प्रकार है :—

“ हिन्दू नारी के वारिसों के बीच उत्तराधिकार के क्रम को पुनरीक्षण करते हुए संयुक्त समिति ने यह उपबंध किया कि अपने पिता से उसे विरासत में प्राप्त संपत्तियां संतान के अभाव में पिता के कुटुम्ब को प्रत्यावर्तित हो जाती हैं और इसी प्रकार अपने पति या श्वसुर से विरासत में प्राप्त संपत्ति संतान के अभाव में पति के वारिसों को प्रत्यावर्तित हो जाती हैं । संयुक्त समिति की राय में ऐसा उपबंध ऐसे व्यक्तियों के हाथों में जाने से संपत्तियां निवारित करता है जिन्हें न्याय की मांग है कि उन्हे नहीं जानी चाहिए ।”

- 3.4 विधानमंडल का आशय स्पष्ट है कि संपत्ति, यदि मूलतः मृतक नारी के माता-पिता की थी, तो यह पिता के विधिक वारिसों को जानी चाहिए । इसी प्रकार धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, अपने पति या अपने श्वसुर से हिन्दू नारी द्वारा विरासत

में प्राप्त संपत्ति भी समरूप परिस्थितियों के अधीन पति के वारिसों को न्यागत होगी । ऐसा स्रोत, जिससे नारी को विचासत द्वारा संपत्ति प्राप्त हुई थी, उसकी संपत्ति के न्यागमन के प्रयोजन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है । यह तथ्य कि किसी हिन्दू नारी को आरंभतः सीमित अधिकार था और बाद में, पूर्ण अधिकार अर्जित कर लिया, किसी भी प्रकार से धारा 15 की उपधारा (2) में दिए गए उत्तराधिकार के नियमों को परिवर्तित नहीं करेगा (भगत राम (मृत), विधिक प्रतिनिधियों द्वारा, अपीलार्थी बनाम तेजा सिंह (मृत), विधिक प्रतिनिधियों द्वारा, प्रत्यर्थी – ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1 पृष्ठ 3 पर देखिए) ।

3.5 भारत के विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट ने “नारी के साम्पत्तिक अधिकार : हिन्दू विधि के अधीन प्रस्तावित सुधार” विषय पर भी विचार किया था और आम जनता से राय मांगने के पश्चात् यह उल्लेख किया कि ऐसी नारी, जिसकी मृत्यु निर्वसीयत होती है, की सम्पत्ति के न्यागमन नियम स्पष्टतः पैतृक पूर्वधारणा का प्रतिबिम्बन करते हैं । 174वीं रिपोर्ट ने स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया था : –

“ पुनः ऐसी हिन्दू नारी जिसकी मृत्यु निर्वसीयत होती है को लागू विधियों में प्रबल पुरुष विचारधारा की पैतृक पूर्वधारणा स्पष्टतः प्रतिबिम्बित होती है । सुस्पष्ट रूप से उसके मामले की विधि हिन्दू पुरुषों को लागू विधियों से भिन्न है । संपत्ति प्रथमतः उसके अपत्य और पति को ;

द्वितीयतः, उसके पति के वारिसों को ; तृतीयतः, उसके पिता के वारिसों को और अंततः उसकी माता के वारिसों को न्यागत होती है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) का उपबंध पुनः पुरुष के प्रति रुक्षान का उपदर्शक है क्योंकि इसमें यह उपबंध है कि कोई संपत्ति जो वह अपने पिता या माता से विरासत में पाती है, का न्यागमन किसी अपत्य के अभाव में उसके पिता के वारिसों को होना चाहिए और इसी प्रकार, अपने पति या श्वसुर से विरासत में प्राप्त किसी संपत्ति का न्यागमन उसके पति के वारिसों को होना चाहिए । ये उपबंध चित्रित करते हैं कि संपत्ति उसी पुरुष शाखा में विरासत हेतु या तो अपने पिता को कुटुम्ब को या अपने पति के कुटुम्ब को बनी रहती है जिससे यह आती है (रिपोर्ट का पृष्ठ 32 और 2.5) ।

- 3.6 इस प्रकार ऐसी हिन्दू नारी जिसकी मृत्यु निर्वसीयत होती है, की संपत्ति के विरासत का आधार वह स्रोत होगा जिससे संपत्ति ऐसी हिन्दू नारी के कब्जे में आयी और विरासत की रीति जो न्यागमन की रीति का विनिश्चय करेगा ।

4. स्व-अर्जित सम्पत्ति – एक अस्पष्ट विषय

- 4.1 ‘संपत्ति’ पद यद्यपि इस धारा में विनिर्दिष्ट नहीं है का अभिप्राय अधिनियम के अधीन विरासत योग्य मृतक की संपत्ति है । इसके

अंतर्गत विरासत द्वारा या युक्ति द्वारा या विभाजन पर या दान द्वारा या अपने कौशल या प्रयास द्वारा या क्रय या चिरभोगाधिकार द्वारा उसके स्वामित्वाधीन और अर्जित स्थावर और जंगम संपत्ति दोनों आती हैं। धारा हिन्दू नारी की विरासत से प्राप्त संपत्ति और स्व-अर्जित संपत्ति के बीच अन्तर नहीं करती बल्कि यह विहित करती है कि यदि कोई संपत्ति पति या श्वसुर से विरासत में प्राप्त होती है तो यह उसके पति के वारिसों को जाएगी और यदि संपत्ति उसके पिता या माता से विरासत में प्राप्त होती है तो उस दशा में संपत्ति उसके पति के वारिसों को नहीं बल्कि पिता और माता के वारिसों को जाएगी।

- 4.2 इस धारा ने ऐसी हिन्दू नारी की संपत्ति जहां यह स्व-अर्जित है, के उत्तराधिकार के बारे में स्पष्टतः उपवर्णित और विचारित नहीं किया है। या इस तरह कहें, कि विधायकों ने यह विचार नहीं किया कि बाद के वर्षों में हिन्दू नारियां स्व-अर्जित संपत्ति धारण करेंगी और कतिपय मामलों में जहां प्रथम प्रवर्ग के उसके वारिस असफल होंगे वहां संपत्ति पूर्णतः उसके पति के वारिसों को न्यागत होगी जो उसके अपने पिता के वारिसों की तुलना में बहुत दूरस्थ नातेदार हो सकते हैं।
- 4.3 निम्नलिखित वृष्ट्यांत द्वारा यह बहुत उपयुक्त ढंग से स्पष्ट किया गया है :—

एक विवाहित हिन्दू नारी ऐसी संपत्ति छोड़कर निर्वसीयत मर जाती है जो उसकी स्व-अर्जित संपत्ति है। उसके कोई संतान नहीं है

और वह अपनी मृत्यु के समय विधवा थी। विधि की वर्तमान स्थिति के अनुसार, उसकी संपत्ति दूसरे प्रवर्ग अर्थात् उसके पति के वारिसों को न्यागत होगी। इस प्रकार, ऐसे मामले में जहाँ उसके पति की माता जीवित है उसकी पूरी संपत्ति उसकी सास को न्यागत होगी। यदि सास भी जीवित नहीं है तो यह निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरुष के मामले में अधिकथित नियमों के अनुसार न्यागत होगी अर्थात् यदि उसके मृतक पति का पिता जीवित है तो विरासत प्राप्त करने वाला अगला व्यक्ति उसका श्वसुर होगा और यदि तीसरे प्रवर्ग में, श्वसुर भी जीवित नहीं है तो उसकी संपत्ति मृतक पति के भाई और बहन को न्यागत होगी।

- 4.4 इस प्रकार, निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की स्व-अर्जित संपत्ति की दशा में उसकी संपत्ति उसके पति के वारिसों को न्यागत होती है। उसके पैतृक और मातृक वारिसों को विरासत में प्राप्त नहीं होता बल्कि उसके पति के वारिसों के अनुसार उसके पति के सुदूर नातेदारों को विरासत में प्राप्त होगा।

5. परिवर्तन का मामला

- 5.1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तब अधिनियमित किया गया था जब हिन्दू समाज की संरचना में, नारियां कार्य करने बाहर नहीं जाया करती थीं।
- 5.2 पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक दृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है और नारियों ने सभी क्षेत्रों में पदार्पण किया है। परिणाम यह है कि

नारियां अपने निजी कौशल द्वारा उपार्जित संपत्ति की मालकिन हैं। विधायकों ने इन स्थितियों का पूर्वानुमान नहीं लगाया था।

5.3 यदि ऐसी स्थिति है तो इन सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का क्या प्रभाव है? क्या वे निर्वसीयत मरने वाली किसी हिन्दू नारी की संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार की विधि में कोई परिवर्तन चाहते हैं? प्रस्तुत मुहे को लागू उत्तराधिकार विधि के संदर्भ में कई वर्षों से समाज में इकाई के रूप में संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का क्रमिक विखंडन और केन्द्रक कुटुम्ब का प्रादुर्भाव का क्या परिणाम है? उत्तराधिकार विधि के मूलभूत सिद्धांतों में से एक संबंधों की समीपता है जिसमें उत्तराधिकारी ऐसा व्यक्ति होता है जो आरंभतः संपत्ति धारित करता है जो निश्चित मामले में विरासत की विषय-वस्तु हो सकती है। यह तथ्य कि नारियों को अपने पैतृक पक्ष से विरासत का अधिकार दिया गया है, का भी वर्तमान संदर्भ में महत्व हो जाता है। ये विकास और परिवर्तन प्रतिस्पर्धी तर्कों और वृष्टिकोणों को जन्म देते हैं जिन पर निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी के मामले में उत्तराधिकार विधि को पुनः परिभाषित करते समय विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, तीन अनुकल्पी विकल्प विचारार्थ उभरते हैं, अर्थात्:-

1. निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की स्व-अर्जित संपत्ति प्रथमतः जन्म देने वाले कुटुम्ब के उसके वारिसों को न्यागत होनी चाहिए।

2. निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की स्व-अर्जित संपत्ति उसके पति के वारिसों और उसके जन्म देने वाले कुटुम्ब के वारिसों को समानतः न्यागत होनी चाहिए ।
 3. निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की स्व-अर्जित संपत्ति प्रथमतः उसके पति के वारिसों को न्यागत होनी चाहिए ।
- 5.4 तीसरे विकल्प को पहले लिया जा सकता है क्योंकि इसका निपटान संक्षिप्ततः किया जा सकता है । निश्चय ही विकल्प का अभिप्राय यथास्थिति का बना रहना है । हमने पहले ही देखा है कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन भी विषय की विधि में तत्समान परिवर्तनों की अपेक्षा करते हैं ।
- 5.5 अब हम प्रथम विकल्प पर विचार करते हैं । इस दृष्टिकोण के समर्थकों की यह दलील है कि उत्तराधिकार के साधरण क्रम से लिंग पक्षपात प्रतिबिम्बित होता है । इस बाबत निम्नलिखित पैराग्राफ को निर्दिष्ट करना सुसंगत होगा :

“ निर्वसीयत नर और नारी के लिए उत्तराधिकार : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन निर्वसीयत के लिंग के आधारों पर उत्तराधिकार के दो पूर्णतः भिन्न स्कीमों के उपबंध नर और नारी निर्वसीयतों के बीच अन्तर सुजित करते हैं । इसके अतिरिक्त संपत्ति, जो विरासत की विषय-वस्तु है, के स्रोत से जुड़े निर्वसीयत नारी के मामले में अन्तर मिलता है । इस प्रकार, जहां कोई महिला अपने माता-पिता से संपत्ति विरासत में प्राप्त करती है और

निस्संतान मर जाती है वहां यह संपत्ति उसकी मृत्यु पर उसके निजी वारिसों को नहीं बल्कि उसके पिता के वारिसों को जाती है। इसी प्रकार जहां वह अपने पति या अपने श्वसुर से संपत्ति विरासत में प्राप्त करती है वहां उसकी मृत्यु पर यह संपत्ति उसके पति के वारिसों को जाती है जहां से या जिसके पिता से उसने संपत्ति विरासत में प्राप्त की थी। निर्वसीयत नारी की दशा में उत्तराधिकार की स्कीमों का उप-विभाजन काफी पुराना और अतार्किक है। वारिसों को भाई, बहन, उसके देवर आदि के रूप में नहीं बल्कि उसके माता-पिता के वारिस और उसके पति के वारिस के रूप में वर्णित किया गया है। यह माना गया है कि उसकी अपनी निजी कोई पहचान नहीं है। विधानमंडल इस स्कीम को विरचित करते समय संपूर्ण मिताक्षरा विधि, स्त्रीधन की इसकी अवधारणा और दोहरी क्षमता में नारी द्वारा विरासत से काफी अधिक प्रभावित था। अपने पिता या अपने पति के वारिसों को एक बार विरासत प्राप्त संपत्ति का यह प्रत्यावर्तन विधानमंडल की ओर से उसे केवल एक अस्थायी अधिभोगी मानने की ओर दुर्दशा दर्शाता है।” (प्रधान सक्सेना – भारत में कुटुम्ब विधि को पुनः परिभाषित करने में उत्तराधिकार विधियां और लिंग न्याय – अर्चना पाराशर, अमित ढांडा द्वारा संपादित, रौटलेज, नई दिल्ली, 2002)

- 5.6 इस दृष्टिकोण के समर्थकों की यह दलील है कि हमारे देश में संयुक्त कुटुम्ब व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त हो रही है और पारम्परिक मिताक्षरा हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब व्यवस्था का स्थान केन्द्रक तथा अर्ध-

केन्द्रक कुटुम्बों की बढ़ती संख्या ने ले लिया है। महिलाएं भी आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हो रही हैं। केन्द्रक कुटुम्ब के विकास के साथ विवाहित महिला की अपने पैतृक कुटुम्ब पर आश्रिता और उसके साथ सतत् घनिष्ठता आजकल काफी अधिक है संभवतः ऐसा पहले नहीं था। अधिकांश विवाहित महिलाएं यह पसंद करेगी कि उनके माता-पिता उसकी संपत्ति के विरासत के लिए अधिक अधिमानी वारिस होने चाहिए यदि उसके बच्चे आदि और पति जीवित न हों। वह यह भी पसंद करेगी कि उसकी बहन और भाई का उसके देवर और ननद की तुलना में उसकी संपत्ति को विरासत में पाने का बेहतर अधिकार होना चाहिए। तदनुसार, यह आग्रह किया गया है कि धारा 15(1) का उपांतरण यह सुनिनिश्चत करने के लिए किया जाना चाहिए कि उत्तराधिकार का साधारण क्रम महिला के पति के वारिसों का स्थान उनसे ऊपर न रहे जो जन्म देने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं जैसे उसके पिता और माता और इसके पश्चात् उसके भाई और बहन। यह दलील दी गई है कि जब कोई पुरुष निर्वसीयत मरता है तो उसकी पत्नी के नातेदार का उल्लेख भी इस रीति के बावजूद कि चाहे जैसे उसे संपत्ति अर्जित हुई हो, उत्तराधिकार के क्रम में नहीं होता है। इस मत को ध्यान में रखते हुए, पुरुष की संपत्ति को लागू नियमों के अनुसार नारी के मामले में समानता की ईप्सा की जाती है। तदनुसार, यह सुझाव दिया जाता है कि न्यागमन के साधरण नियमों को विनिर्देष्ट करते हुए धारा 15(1) को संशोधित करना

बेहतर होगा जो किसी नारी द्वारा न केवल अर्जित संपत्ति को बल्कि अपने कुटुम्ब से अर्जित अन्य संपत्ति, दान, आदि को भी लागू होगी। तब केवल ऐसे परंतुक की आवश्यकता ऐसी संपत्ति हेतु होगी जिसे कोई नारी अपने पति के कुटुम्ब से अर्जित करती हो।

- 5.7 इस बाबत दूसरा विकल्प यह है कि यतः निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की संपत्ति उस स्रोत, जिससे उक्त संपत्ति उसे प्राप्त हुई थी, पर निर्भर करते हुए वारिसों को न्यागत होता है वहां ऐसी नारी की स्व-अर्जित संपत्ति समान अंश में पति के कुटुम्ब और जन्म देने वाले कुटुम्ब के उसके दोनों वारिसों को विरासत में साथ-साथ प्राप्त होगी। तथ्य यह रह जाता है कि अपने जन्म देने वाले कुटुम्ब से उसकी धनिष्ठता और निर्भरता के बावजूद उसके पति के कुटुम्ब से उसका संबंध पूर्णतया पृथक् और नष्ट नहीं होता है। वह अपने पति के कुटुम्ब की सदस्य बनी रहती है और जीवन के हर क्षेत्र में उससे सहयोग प्राप्त करती रहती है। कोई भी व्यक्ति इस बाबत ठोस वास्तविकताओं की उपेक्षा करने का प्रयास नहीं कर सकता। सामाजिक प्रवृत्ति और हमारी पैतृक व्यवस्था की लोक प्रथा की यह मांग है कि विद्यमान व्यवस्था को पूर्णतः प्रत्यावर्तित नहीं किया जाना चाहिए जैसा प्रथम विकल्प के समर्थकों का दावा है। यही नहीं, सामाजिक और पारिवारिक तनाव हो सकते हैं और पूर्णतः कुटुम्ब के समग्र हित में नहीं हो सकता है और इस प्रकार इससे बचा जाना चाहिए। किसी भी दशा में, हिन्दू

नारी अपनी संपत्ति विल निष्पादित कर जैसा वह चाहे वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है ।

6. निष्कर्ष और सिफारिशें

- 6.1 वर्तमान परिदृश्य में जब इस आशय के संशोधन किए गए हैं कि महिलाएं अपने पैतृक पक्ष और पति के पक्ष से संपत्ति विरासत में पाने की हकदार हैं, यह बिलकुल न्यायोचित होगा यदि उसकी संपत्ति के विरासत के लिए पति के वारिसों के साथ-साथ उसके पैतृक वारिसों को समान अधिकार दिया जाए ।
- 6.2 अतः, यह प्रस्तावित है कि संतुलन बनाए रखने के लिए, धारा 15 को संशोधित किया जाए ताकि यदि कोई हिन्दू नारी धारा 15 के खंड “क” में यथावर्णित किसी वारिस के बिना अपनी स्व-अर्जित संपत्ति छोड़कर निर्वसीयत मर जाती है तो संपत्ति उसके पति के वारिसों को और उसके पैतृक पक्ष के वारिसों को भी न्यागत किया जाए ।
- 6.3 यदि यह संशोधन लाया जाता है तो इसका प्रभाव इस प्रकार होगा :-
कोई विवाहित हिन्दू नारी अपनी मृत्यु के समय स्व-अर्जित संपत्ति छोड़कर निर्वसीयत मर जाती है तो केवल उत्तरजीवित नातेदार उसकी सास (एल) और उसकी माता (एम) हैं ।

संशोधन पूर्व	संशोधन पश्चात्
वर्तमान विधि के अनुसार, उसकी संपत्ति पूर्णतः “एल” को न्यागत होगी और “एम” उसकी संपत्ति से कुछ नहीं पाएगी।	प्रस्तावित संशोधन द्वारा, उसकी सास और माता उसकी स्व-अर्जित संपत्ति समानतः विरासत में पाएंगी।

विवाहित हिन्दू नारी निर्वसीयत स्व-अर्जित संपत्ति छोड़कर मरती है और उसके पास अनुसूची के खंड ‘क’ के अनुसार कोई वारिस नहीं है तो केवल उत्तरजीवी नातेदार उसके पति के भाई और बहन (बी एल और एस एल) और उसके अपने भाई और बहन (बी. और एस.) हैं।

वर्तमान विधि के अनुसार संपत्ति प्रसामान्यतः ‘बी एल’ और ‘एस एल’ को न्यागत होगी। इस संपत्ति में उससे ‘बी’ और ‘एस’ कुछ विरासत में नहीं पाते।	प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, उसके अपने भाई और बहन उसके देवर और ननद के साथ-साथ समानतः संपत्ति में विरासत पाएंगे।
---	---

7. प्रस्तावित संशोधन

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 में में धारा 15(2)(ग) जोड़ी जाए :-

“ (ग) यदि हिन्दू नारी स्व-अर्जित संपत्ति छोड़ती है तो मृतक के पति और किसी पुत्र या पुत्री (जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य हैं) के अभाव में, उक्त संपत्ति उपधारा (1) में वर्णित यथा क्रमानुसार वारिसों को न्यागत नहीं होगी लेकिन प्रवर्ग (ख) + (ग) के वारिस साथ-साथ विरासत पाएंगे। यदि प्रवर्ग (ग) में उसका कोई वारिस नहीं है तो प्रवर्ग (ख) + (घ) के वारिस साथ-साथ विरासत पाएंगे। ”

7.2 इस प्रकार, धारा 15 प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् इस प्रकार होगी :-

“ 15. हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम :-

- (1) निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की संपत्ति धारा 16 में दिए गए नियम के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी -
- (क) प्रथमतः, पुत्रों और पुत्रियों (जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं) और पति को ;
- (ख) द्वितीयतः, पति के वारिसों को ;
- (ग) तृतीयतः, माता और पिता को ;
- (घ) चतुर्थतः, पिता के वारिसों को, तथा
- (ङ.) अंततः, माता के वारिसों को ।

2. उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी :
- (क) कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई है, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी ; और
 - (ख) कोई संपत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पति या अपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो, मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के (जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी ।
 - (ग) यदि कोई हिन्दू नारी स्व-अर्जित संपत्ति छोड़ती है तो मृतक के पति और किसी पुत्र या पुत्री (जिसके अंतर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) के अभाव में, उक्त संपत्ति उपधारा (1) में वर्णित यथा क्रमानुसार वारिसों को न्यागत होगी, लेकिन प्रवर्ग (ख) + (ग) के वारिस साथ-साथ पाएंगे और यदि प्रवर्ग (ग) में उसका कोई वारिस नहीं है तो (ख) + (घ) प्रवर्ग के वारिस साथ-साथ विरासत पाएंगे ।

7.3 तदनुसार यह सिफारिश की जाती है।

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन)

अध्यक्ष

ह/-
(प्रो. डा. ताहिर महमूद)
सदस्य

ह:-
(डा. डी.पी. शर्मा)
सदस्य-सचिव